मधुबन एकेडमी में तैयार होती हैं 'फाइटर' महिलाएं

गुर्जर द्वारा महिलाओं के लिए अलग एकेडमी बनाने की मांग तालिबानी

फ़रीदाबाद (म.मो.) मधुबन स्थित हरियाणा पुलिस एकेडमी के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध रचे गये एक षडयंत्र के संबंध में बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कृष्णपाल गुर्जर ने तालिबानी भाषा का इस्तेमाल करते हुए मांग की है कि महिलाओं के लिए अलग पुलिस एकेडमी बनाई जाये। उल्लेखनीय है कि पुलिस एकेडमी के उच्चाधिकारियों पर बिना नाम लिए महिला प्रशिक्षणार्थियों के यौन शोषण का जो आरोप लगाया गया है, वह पूरी तरह निराधार है और राज्य की राजनीति में पूरी तरह बदनाम, बेईमान और जनता द्वारा नकारे जा चुके नेताओं द्वारा उन पुलिस अधिकारियों को बदनाम करने की साजिश है जो पुलिस के जनविरोधी चेहरे को बदल कर उसे जनहितैषी और मानवीय बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इस दिशा में उन्होंने कई रचनात्मक क़दम उठाये हैं। जनविरोधी नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई कि जिस पुलिस का इस्तेमाल लूट-खसोट और अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे लोग़ों के दमन के लिए किया जाता था, उसे समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रशिक्षित किया जाये और जनतांत्रिक मूल्यों से उन्हें लैस किया जा सके।

इस मामले में अपनी लुटेरी भूमिका के लिए कुख्यात चौटालों ने जहां सीबीआई जांच की मांग की है, वहीं भाजपा के कृष्णपाल गुर्जर इसकी जांच उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश से कराना चाहते हैं। लेकिन ये नेता इस बात को भूल जाते हैं कि गत दिनों कई मामलों में सीबीआई जांच के औचित्य पर ही सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि जांच का काम हाथ में लेने के बाद सीबीआई जांच का काम आगे बढ़ाने की जगह जिस तरह गहरी नींद में सो जाती है, उसका अब तक दूसरा उदाहरण नहीं मिला है। साथ ही उसकी जांच राजनीतिक प्रभावों से मुक्त नहीं रह पाती। जहां तक उच्च न्यायालय के किसी जज से जांच कराने का सवाल है तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसके द्वारा की गई कोई जांच भरोसेमंद नहीं हो सकती।

बहरहाल, जहां तक महिला पुलिस प्रशिक्षुओं के लिए अलग से पुलिस एकेडमी की मांग का सवाल है तो इससे जाहिर होता है कि भाजपा नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 'तालिबानी' सोच से पूर्णतया गहराई से जुड़े हुए हैं। 21वीं सदी में जब इनकी सोच का स्तर इतना पिछड़ा हुआ है कि वह महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग से ट्रेनिंग एकेडमी की मांग कर रहे हैं तो यह भी संभव है कि वे मांग करें कि सह-शिक्षा को समाप्त कर दिया जाये। वे यह भी कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए पूर्णतया अलग से स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय बनें। यह मांग तो उठाई जा चुकी है कि लड़कियों के स्कूलों में सिर्फ महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। लोग़ अभी इस बात को नहीं भूले होंगे जब दुर्जनपुर एवं अन्य गांवों में स्थित स्कूलों में शिक्षकों द्वारा छात्राओं के यौन शोषण की घटनायें प्रकाश में आई

"जिन लोग़ों ने, लेखकों और स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों ने उपरोक्त एकेडमी की कार्यप्रणाली को नज़दीक से महीनों वहां रह कर देखा है, वे जानते हैं कि वहां 'फाइटर' महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, न कि दब्बू महिलाओं को जो अपना यौन शोषण होने दें और उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ न उठा सकें।"

थीं तो सरकार ने कहा था कि छात्राओं के स्कूलों में अब सिर्फ़ महिला शिक्षकों की ही नियुक्ति की जायेगी। पर व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह संभव नहीं था, इसलिए ऐसा न हो सका। लेकिन भाजपा नेता कृष्णपाल गुर्जर का क्या, अपनी 'तालिबानी' सोच के तहत वे फ़िर यह मांग उठा सकते हैं।

सोचने वाली बात है यह है कि सिर्फ़ महिला एकेडमी में प्रशिक्षण पाने के बाद महिला पुलिसकर्मी जब कार्यक्षेत्र में आयेंगी तो क्या उनके लिए ऐसे थाने-चौकी बनाये जायेंगे जहां सिर्फ़ महिला ही महिला पुलिसकर्मी हों। क्या यह संभव है? या यह सिर्फ़ बेसिर-पैर की मांग है महिला पुलिस प्रशिक्षुओं के लिए अलग से एकेडमी बने। फ़िर तो आईपीएस महिलाओं के लिए भी अलग से प्रशिक्षण संस्थान बनाने पड़ेंगे, क्योंकि महिला होने के कारण यौन शोषण का खतरा उन पर भी मंडराता रहेगा। आईएएस महिलाओं की ट्रेनिंग के लिए भी यही तरीका अपनाना पड़ेगा।

यही नहीं, बैंकों एवं सरकारी-गैरसरकारी संस्थाओं में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण पाने वाली महिलाओं के लिए भी अलग संस्थान की जरूरत पड़ेगी। इस कुतर्क को यदि आगे बढ़ाया जाये तो प्रशिक्षण के बाद उनका कार्यक्षेत्र भी सिर्फ़ महिलाओं के बीच होना चाहिए। महिलाओं के कार्यक्षेत्र में पुरुषों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाना चाहिए। क्या यह संभव है? कृष्णपाल गुर्जर ने जो मांग की है, उसका परिणाम यही होगा कि महिलाओं को कार्यक्षेत्र में न जा कर अपने घरों में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में उन्हें पुरुषों के साथ काम करना पड़ेगा। और महिलाएं यदि अपने घरों में भी बैठी रहती हैं तो यौन शोषण का खतरा क्या वहां नहीं रहेगा?

अभी तक महिलाओं के यौन शोषण और उनके साथ बलात्कार पर जो भी सर्वेक्षण किये गये हैं, उनसे यही तथ्य उभर कर सामने आता है कि उनके रिश्तेदार और परिचित लोग़ ही सबसे ज्यादा उन्हें यौन शोषण और बलात्कार का शिकार बनाते हैं। फ़िर अपने घर और मुहल्ले को भी महिलाओं को छोड़ना पड़ेगा? क्या गुर्जर महोदय को यह मालूम है कि पर्दे में रहने वाली मुस्लिम एवं अन्य महिलाओं को जो पराये मर्दों के सामने नहीं आतीं और सिर्फ़ घरेलू कामों तक सीमित रहती हैं, उनका रिश्तेदारों और घरेलू सदस्यों द्वारा ही यौन शोषण किया जाता है। फ़िर महिलायें कहां सुरक्षित रह सकती हैं? कृष्णपाल गुर्जर को इस सवाल का हल ढूंढना चाहिए।

आज जब वायु सेना और थल सेना में महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में भेजने की बात कही जा रही है, वहां महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग ट्रेनिंग एकेडमी खोलने की बात कह कर कृष्णपाल गुर्जर 'तालिबानी' मानसिकता का परिचय तो दे ही रहे हैं, अपने आप को भी हास्यास्पद बना रहे हैं। वे इस बात को भूल रहे हैं कि महिलाओं को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना होगा और उन्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाना होगा कि कोई लाख चाहे, उनका यौन शोषण न कर सके।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मधुबन स्थित पुलिस एकेडमी हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यहां पुलिसकर्मियों को सिर्फ़ कार्य संबंधी ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें मानववादी और जनतांत्रिक परंपराओं में दीक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जिन लोग़ों ने, लेखकों और स्त्री अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों ने उपरोक्त एकेडमी की कार्यप्रणाली को नज़दीक से महीनों वहां रह कर देखा है, वे जानते हैं कि वहां 'फाइटर' महिलाओं को तैयार किया जा रहा है, न कि दब्बू महिलाओं को जो अपना यौन शोषण होने दें और उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ न उठा सकें।

जज रिश्वत कांड : सीजेआई ने बख्शा निर्मल यादव को, पुन: काम पर बहाल

नई दिल्ली (म.मो.) अगस्त 2008 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक जज निर्मलजीत कौर के घर पहुंचे 15 लाख रुपये के पैकेट का असली राज़ पहले चंडीगढ़ पुलिस तथा बाद में सीबीआई ने खोल कर जनता के सामने रख दिया था कि यह पैसा दूसरी जज निर्मल यादव के घर पहुंचने की अपेक्षा श्रीमती कौर के यहां पहुंच गया। विदित है कि यह रकम तत्कालीन हरियाणा सरकार के वकील संजीव बंसल द्वारा भेजी गई थी, जाहिर है यह रकम किसी फ़ैसले की दलाली एवं रिश्वत के एवज में ही होगी।

किसी जज द्वारा ली जाने वाली रिश्वत की नकद बरामदगी का अपने आप में यह पहला उदाहरण होने के बावजूद जज निर्मल यादव को सवा साल तक घर पर बैठाने के बाद अब पुन: काम पर बहाल किया जा रहा है।

चंडीगढ़ पुलिस के बाद सीबीआई ने अपनी विस्तृत जांच, गवाहों के बयान, जज का संजीव बंसल व दिल्ली के होटल मालिक रविन्द्र से टेलिफ़ोनिक वार्ता के आधार पर पूरी तरह सिद्ध कर दिया था कि रिश्वत की यह रकम केवल और केवल निर्मल यादव के लिये ही थी। इतना ही नहीं, इस रकम को पुलिस द्वारा ज़ब्त कर लिये जाने के बाद अगले ही दिन 15 लाख का दूसरा पैकेट भी निर्मल यादव को बंसल व रविन्द्र द्वारा पहुंचा दिया गया था, जो कि उन्हें सोलन की एक जायदाद खरीदने के लिये बहुत जरूरी चाहिए था।

जज चाहे कितना ही बड़ा भ्रष्ट एवं अपराधी क्यों न हो, जज बिरादरी कभी नहीं चाहती कि पुलिस उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही अथवा जांच-पड़ताल करे। मामला चाहे निर्मल यादव को हो या गाज़ियाबाद का या कोई अन्य। ये लोग़ चाहते हैं कि जज के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही भी ये लोग़ स्वयं भीतर ही भीतर गुपचुप कर लें। इसी आशय से भारत के मुख्य न्यायाधीश बालाकृष्णन ने तीन जजों की एक कमेटी को निर्मल यादव का केस सौंपा था। ये तीन जज थे - न्यायमूर्ति एच.एल. गोखले मुख्य न्यायाधीश मद्रास हाई कोर्ट, न्यायमूर्ति आर.एस.राधाकृष्णन जो इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय में हैं तथा मदन लोकूर जो दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम जज हैं। पुलिस एवं सीबीआई द्वारा इस मामले में जुटाये गये साक्ष्य एवं तथ्य इतने मज़बूत एवं अकाट्य थे कि इन तीनों जजों की कमेटी ने भी सर्वसम्मति से निर्मल यादव को दोषी ठहरा दिया।

"लगता है बालाकृष्णन इन सबके रिकार्ड तोड़ने की ठान चुके हैं। कभी आरटीआई और जजों की संपत्तियों की घोषणा के मामले में इनकी किरकिरी होती है तो कभी न्यायाधीशों की नियुक्तियों को ले कर तो कभी जजों में पनप रहे भ्रष्टाचार को लेकर। कुल मिला कर अब तक जितनी फ़ज़ीहत इन साहब की हो चुकी है, शायद किसी की नहीं हुई।"

निर्मल यादव अपने बचाव में केवल इतना कहती हैं कि निर्मलजीत कौर के घर पर जब रकम का पैकेट पहुंचा था तो वहां सुप्रीम कोर्ट के एक-दो जज भी मौजूद थे और केवल इसी दबाव में तुर्त-फुर्त पुलिस को बुला कर पैकेट उसके हवाले कर दिया गया और बिना बात दोष उनके (निर्मल यादव के) सिर मंढ दिया गया। जाहिर है, सीबीआई द्वारा जुटाये गये अकाट्य सबूतों के मुकाबले यह तर्क कहीं नहीं ठहरता। इस सबके बावजूद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार (कानून मंत्री मोइली) पर दबाव डाल कर इस केस को ठप्प करा दिया है और निर्मल यादव को दोबारा डकैतियां मारने के लिये बहाल करा दिया है, बेशक इस बार डकैतियों का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ न हो कर उत्तराखंड-देहरादून होगा।

यूं तो इस देश को एक से बढ़ कर एक भ्रष्ट मुख्य न्यायाधीश मिलते रहे हैं, कोई आर.एस.पाठक भोपाल गैस त्रासदी में मरने वालों की सीढ़ी बना कर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा तो किसी सब्बरवाल ने मॉल माफ़ियाओं से मिल कर दिल्ली तुड़वा दी, रंगनाथ मिश्रा के तो रंग ही न्यारे थे।

लगता है बालाकृष्णन इन सबके रिकार्ड तोड़ने की ठान चुके हैं। कभी आरटीआई और जजों की संपत्तियों की घोषणा के मामले में इनकी किरकिरी होती है तो कभी न्यायाधीशों की नियुक्तियों को ले कर तो कभी जजों में पनप रहे भ्रष्टाचार को लेकर। कुल मिला कर अब तक जितनी फ़ज़ीहत इन साहब की हो चुकी है, शायद किसी की नहीं हुई।

पेज 6 का शेष

राम सिंह की ट्रेनिंग

या तो आप पागल हैं या मैं कोई सपना देख रहा हूं। मैं ये रुपये क्यों लूं? मुझे तनख़्वाह मिलती है अपने काम की। मैं एक पैसा भी लेना गुनाह समझता हूं।

मेरी बात का उन पर विचित्र प्रभाव पड़ा। बूढ़े की दीनता जाती रही। उसका चेहरा दृढ़ हो गया। उसने गांव वालों से कहा - अब भी तुम्हें कोई शक़ है?

वे बोले-नहीं।

बूढ़े ने हुक्म दिया-तो फ़िर देखते क्या हो?

मैं कुछ समझूं, इसके पहले उन लोग़ों ने मुझे पकड़ कर रस्सी से मेरे हाथ-पांव बांध दिये।

बूढ़े ने एक आदमी से कहा-जा, शहर जा कर इंस्पेक्टर साहब से कहना कि कोई ठग या डाकू पुलिस की वर्दी पहन कर आया था, सो उसे हमने बांध लिया है।

मैं चिल्लाया-मैं ठग या डाकू नहीं हूं। मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूं।

बूढ़ा बोला-तू पुलिस का इंस्पेक्टर नहीं है। तूने यह वर्दी चुराई है और पहन कर हमें ठगने आ गया है। मुझे तू धोखा नहीं दे सकता। मैंने क्या पुलिस वाले देखे नहीं हैं? पुलिस वालों को देखते-देखते बूढ़ा हो गया हूं। तेरे जैसी बातें पुलिस वाले नहीं करते। तू तो कोई ठग है।

मैंने पूछा-आख़िर तुम्हें मेरे ऊपर शक़ क्यों होता है?

बूढ़े ने कहा-तुझमें एक भी लक्षण सच्चे पुलिस अफ़सर का नहीं है। पुलिस अफ़सरों को देखते मुझे वर्षों हो गये। किसी ने मुझे 'क्यों बे बुड्ढे' के सिवा कुछ और नहीं कहा। मुझे तो तभी शक़ हो गया था, जब तूने मुझे आदर से 'बाबा' कहा था। फ़िर तूने दूध पीने से इनकार किया। ऐसा कोई अफ़सर नहीं करता। फ़िर तूने रुपये नहीं लिए। ऐसा भी कोई अफ़सर करता है? अरे हम तो डर के मारे चोरी की रिपोर्ट नहीं करते कि पुलिस वाले आयेंगे, तंग करेंगे और हर्ज़ाना वसूल करके सरकार में जमा करेंगे। और तू कहता है कि मैं एक भी पैसा नहीं लूंगा और चोरी का पता लगाऊंगा। ऐसा अफ़सर तो मैंने आज तक नहीं देखा। तू तो कोई ठग है। पर बेटा, स्वांग पूरा नहीं रच पाये और पकड़े गये। अब सच्चे पुलिस अफ़सर आते हैं तो तुझे दस-पांच साल जेल में सड़ायेंगे।

भाई साहब, मैं शाम तक वहीं बंधा पड़ा रहा। दिन ढलते शहर से एक साथी इंस्पेक्टर आया। उसने बूढ़े को पचीसों गालियां दीं। पूछा-क्यों बे साले बुड्ढे के बच्चे। इन्हें क्यों बांध रखा है?

गालियां सुन कर बूढ़ा खुश हो गया। बोला-हुजूर, यही तो हम इस ठग से कह रहे हैं। देखा रे, पुलिस अफ़सर ऐसे होते हैं, जैसे ये साहब हैं। और एक तू है जो 'बाबा-बाबा' कर रहा था।

राम सिंह ने कहा - भाई साहब, इस दुर्दशा के बाद मैंने सोचा कि मेरी ट्रेनिंग अधूरी रह गई। लोग़ मुझे ठग समझ लेते हैं। मैंने एक महीने की छुट्टी ली और ट्रेनिंग पूरी करने घर आ गया।

मैंने कहा-राम सिंह हमारा दुर्भाग्य है कि तेरे और मेरे-दोनों के पिता इस असार संसार से कूच कर गए। वे आज होते, तो उनका उपयोग करके तू तीन-चार दिनों में ही पूरा दक्ष हो जाता। खैर, अभी मैं हूं। तू रोज़ मेरे ऊपर अभ्यास किया कर। इससे मुझे खुशी ही होगी कि तेरे किसी काम तो आया।

तब से रामसिंह रोज़ मुझे गाली देता है और मैं हंसता रहता हूं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में रोनिज़ा प्रिंटर्स, 3बी-6, एनआईटी फरीदाबाद से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06